

सुचना के अधिकार के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करना

(सुचना का अधिकार — २००५ की धारा (१) के अन्तर्गत)

१. आवेदक का नाम— नीरज गुप्ता पिला मुन्सी लाल गुप्ता

२. पुष्ट पता/ई-मेल प्रैवेस विषय पर जानकारी दोषित की जात है— जाकाल नं. १६५ चरगाही, पीटांडियापिला— दला चरगाही,
पिला रिंजारीली ज़िल्या प्रदेश ४८६८८६, ईमेल— Neeraj.gupta615@gmail.com

३. दृष्टिकोण क्रमांक — ७७७१८२२८७७

४. आवेदन देख का दिनांक— /०३/२०१७

५. कार्यालय का नाम— महाराष्ट्रीय राष्ट्रपति कार्यालय भारत नई दिल्ली

६. यहाँ यह जानकारी का विवरण— विधी कम्पनी द्वारा मेरे साथ-साथ देश के हर जोगे से लाली बैकरू नीजदानी के साथ जटी
नीकरी के नाम पर अधिक्षय छात्राव किये जाने का मानसा क्र. ६२१/१६ माननीय मंजिस्ट्रैट प्रधान बैठी महोदय द्वारा
आदेशित दिनांक ०५/०५/१६ और माननीय अपर जिला न्यायालय पुनर्विधान मानसा क्र. ५०००८८/२०१६ द्वारा आदेशित
दिनांक ०८/०८/१६ जिसमें विधी प्रमुख के साथ-साथ उनके कर्जेशाहीय द्वारा माननीय न्यायालय में आज दिनांक तक ४
लारीख दीत जाने के बाद और पैश नहीं हुआ तथा, इसके विपरीत विधी प्रमुख के बैठील मंटीप सिंह जिनायक द्वारा मुझ
फरियाई को धनकी भरा नोटिस दिनांक २७/०२/१७ को जारी किया गया, जो मुझ फरियाई को पोस्ट के द्वारा पापत हुआ है
माननीय न्यायालय के आदेश कि कोई व विधी प्रमुख के बैठील द्वारा जारी नोटिस की कोई उमत नहीं पर मे सतर्क हूँ
महाराष्ट्रीय राष्ट्रपति महोदय में अवगत होना चाहता हूँ कि उक्त संबंध में संवैधानिक प्राप्तधान क्या है ?

७. क्या याहोने हैं बैठक, लिएहैं का नियम/रिकार्ड की प्राप्तिपत्री/प्रमाणित नस्ता— महाराष्ट्रीय राष्ट्रपति महोदय में अवगत होना
चाहता हूँ कि उक्त संबंध में संवैधानिक प्राप्तधान क्या है ?

८. आवेदक के साथ आठ किये जाने वाले दोस्तों फौस-कार्यपालक/सदस्य (दी.सी.एस.) सूची के सदस्य को देख नहीं
रहीं दस्तावेज द्वारा दिनांक—

दो— यहाँ आवेदक द्वारा दाए से आवेदन दोषित किया जात है तो आवेदन—यह पर जारी १०/- का राजस्व मुक्त चाला करते हुए
संवैधानिक/सूची/सी.एस./दाक घरप सहित सम्बन्ध एवं जिसका हुआ जिसका सब मे सतर्क करे (दी.सी.एस.) सूची के सदस्य को देख नहीं)

पात्रता

१. आवेदक का नाम/पिला/सूची का नाम— नीरज गुप्ता पिला मुन्सी लाल गुप्ता

२. यहाँ यह जानकारी विवरण— विधी कम्पनी द्वारा मेरे साथ-साथ देश के हर जोगे से लाली बैकरू नीजदानी के साथ जटी
नीकरी के नाम पर अधिक्षय छात्राव किये जाने का मानसा क्र. ६२१/१६ माननीय मंजिस्ट्रैट प्रधान बैठी महोदय द्वारा
आदेशित दिनांक ०५/०५/१६ और माननीय अपर जिला न्यायालय पुनर्विधान मानसा क्र. ५०००८८/२०१६ द्वारा आदेशित
दिनांक ०८/०८/१६ जिसमें विधी प्रमुख के साथ-साथ उनके कर्जेशाहीय द्वारा माननीय न्यायालय में आज दिनांक तक ४
लारीख दीत जाने के बाद और पैश नहीं हुआ तथा, इसके विपरीत विधी प्रमुख के बैठील मंटीप सिंह जिनायक द्वारा मुझ
फरियाई को धनकी भरा नोटिस दिनांक २७/०२/१७ को जारी किया गया, जो मुझ फरियाई को पोस्ट के द्वारा पापत हुआ है
माननीय न्यायालय के आदेश कि कोई व विधी प्रमुख के बैठील द्वारा जारी नोटिस की कोई उमत RTI पर मे सतर्क हूँ
महाराष्ट्रीय राष्ट्रपति महोदय में अवगत होना चाहता हूँ कि उक्त संबंध में संवैधानिक प्राप्तधान क्या है ?

३. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक—

४. आवेदनकारी के बहित जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध मे अधिक्षय कार्यालय हेतु उपर्युक्त होने का दिनांक—

५. सम्बन्धित गावः/भूक्षेत्री जहा से जानकारी उपलब्ध होगी—

द्वारा द्वारा की हमारा पर
लोकसूचनाओंकारी/मानवक
संवैधानिक अधिकारी द्वारा
द्वारा द्वारा द्वारा संवैधानिक

बीमा नहीं/NOT INSURED

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० ३०/-

Amount of Stamps Affixed Rs.

एक रजिस्ट्री
Rash Dabati Bhawan

Received a Registered Document
Date stamp

पाने वाले का नाम
Post & Rent's Estate

Addressed to
New Delhi

Delhi 110004
पाने वाले अधिकारी के इस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer



बीमा नहीं/NOT INSURED

450